खण्ड-448, अंक-8
मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1925
(17 फरवरी, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोली काण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग...	1–3
प्रश्नोत्तर	3–27
उत्तर प्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य श्रीमती बेनी बाई के निधन पर शोकोद्गार..	27
औरैया में हुए लाठीचार्ज एवं गोली काण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग...(जारी)	28–30
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	31
जनपद सुल्तानपुर में ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए आरक्षित जमीन पर दुकानों एवं अन्य शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने हेतु थानों में जांच रिपोर्ट लगाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद मऊ के ग्राम ताजोपुर में हिंसात्मक घटनाओं पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय स्थानों पर विद्युतीकरण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	32
जनपद लखनऊ के विवेकानन्द पालीक्लीनिक तथा रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के उच्चीकरण हेतु केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
जनपद बुलन्दशहर के कतिपय मार्गों पर गड्ढों के कारण यातायात जाम व दुर्घटनाओं से मुक्ति के लिए मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद जौनपुर में 33/11 के०वी०ए० उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33–34
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	34
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	34
उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	35

विषय	पृष्ठ-संख्या
औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोलीकाण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग (जारी)	35–36
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	37
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	37
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	37–38
औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोलीकाण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग...	38–41
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधरण चर्चा....(जारी) ...	41
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	41–42
प्रदेश में नगर के निगम पार्षदों को दी जाने वाली विकास निधि मोबाइल फोन और उप नगर आयुक्तों को दिये गये वाहनों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	43–44
प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों पर कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा लगायी गयी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	44–45
जनपद बागपत के छपरौली अन्तर्गत बड़ौत से टांडा तक निर्मित घटिया सड़क की जांच कराने के सम्बन्ध में डा० अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	45
प्रदेश में नगर पालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	45–46
उत्तरांचल प्रदेश बनने के बाद स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को मनमाने ढंग से उत्तरांचल भेजने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	46–48
जनपद गोण्डा में गोदाम से उठाकर माफियाओं द्वारा सरकारी खाद्यान्न बाजार में बेंच दिये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	48–49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी के मऊरानीपुर में चोरी से बिजली के तार काटने से विद्युत व्यवस्था खराब होने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	49–50
जनपद प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	50–51
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के ग्राम कटया में स्थापित गन्ना कृषि शोध केन्द्र का कार्य सही ढंग से न किये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	51
जनपद आगरा में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य...	52
जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	52–53
जनपद गोण्डा के ग्राम बछईपुर में तहसीलदार द्वारा पारित जुर्माने की रकम को जमा न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	53–54
महाराष्ट्र प्रदेश में फर्जी स्टाम्प एवं स्टैम्प पेपर घोटाला काण्ड प्रकाश में आने एवं उसकी बिक्री प्रदेश में होने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की निर्धारित चर्चा को निरस्त किये जाने की सूचना	54–55
नत्थी	56–58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–295

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अशोक बाजपेयी,डा०	हरदोई
अजय कुमार, डा०	बागपत	आदित्य विक्रम सिंह	
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अताउल रहमान, श्री	बरेली	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	आर०एस० कुशवाहा, श्री	खीरी
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	आर० के० सिंह पटेल,श्री	चित्रकूट
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
अब्बास अली जैदी उर्फ		इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी	उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अमर सिंह यादव पुत्र		ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस	ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन	ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात	कपिल देव यादव, श्री	मऊ
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर	कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज

कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी

प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम, एम०काम०, श्री	जालौन
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती

राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विधा सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
***विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोवा

सियाराम सागर, डा०	बरेली	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री),

श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री),

भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2004 ई०

औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोली काण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य देने की मांग

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के आदेश पर .....

श्री अध्यक्ष–

अभी तो सदन शुरू भी नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, औरैया में मुख्य मंत्री जी के आदेश पर लाठीचार्ज कराया .....

(व्यवधान)

(श्री कमलेश कुमार पाठक द्वारा अपना हाथ दिखाया जा रहा था)

मान्यवर, यह हाथ इस बात का गवाह है कि वहां लाठी व गोलियां चलाई गई हैं .....

(घोर व्यवधान)

[श्री कमलेश कुमार पाठक एवं विपक्ष के कई सदस्य सर्वश्री नवाब सिंह नागर, घनश्याम शुक्ल, प्रागी लाल अहिरवार, मुंशीलाल गौतम, जगदीश नारायण राय, भरत सिंह, घूराराम तथा ओम प्रकाश (ओ०पी० सिंह) आदि सदन के फ्लोर पर आ गये]

श्री कमलेश कुमार पाठक–

एक सदस्य को जान से मरवाने का प्रयास किया गया है । मुझे आपका संरक्षण चाहिए । मैं नेता सदन के लिए कह रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर में आये हुए भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य श्री कमलेश कुमार पाठक के समर्थन में नारे लगा रहे थे)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, हमें जान से मरवाने का प्रयास किया गया । मुख्य मंत्री सदन में आयें और यह बताये कि वहां गोली चलायी गयी या नहीं चलायी गयी । नेता सदन ने सदन को गुमराह करने का काम किया है । मान्यवर, वहां पर गोलियां चलीं और लाठियां भी चलती रहीं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

(अपना हाथ दिखाते हुए, जिसमें पट्टी बंधी हुई थी), मान्यवर, हमें न्याय चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में जब माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगे, उस समय अपनी बात कह लीजिएगा । इस समय आप कार्यवाही चलने दीजिए ।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए भारतीय जनता पार्टी और बसपा के सदस्य नारे लगाते रहे और व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री कमलेश कुमार पाठक अपने स्थान पर खड़े होकर पुनः औरैया प्रकरण को उठाने का प्रयास करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सूचनाएं लेने के बाद आपकी बात सुनेंगे ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–56 की सूचनायें आ जायेंगी तो उसके बाद आपको सुनने का अवसर देंगे । तब तक मुख्य मंत्री भी आ जायेंगे । इसके बजाय कि प्रश्नकाल स्थगित रखा जाये ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, वैसे तो आपका जो भी आदेश होगा .....

(श्री कमलेश पाठक सहित विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, सदन को माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुमराह किया कि वहां पर भू-माफिया और पत्रकार आन्दोलन में थे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 'एक सदस्य की वजह से सदन की कार्यवाही न चले यह बात उचित नहीं है ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन की वेल में आ गये और अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में बुला लिया जाय और वह बतायें कि गोलियां नहीं चली हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं ही उनसे अपनी बात कह सकते हैं आपही की पार्टी के मुख्य मंत्री हैं । क्या आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी बोलने नहीं देंगे ?

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर से अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपने स्थान पर चले जायें । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है । वह जवाब देंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, एक सदस्य की वजह से सदन की कार्यवाही न चले तो यह उचित नहीं हैं ।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

वह आपके ही दल के मुख्य मंत्री हैं । आप स्वयं अपनी बात कह सकते है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

(मैं सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं)

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भू-गर्भ जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु उपाय

*1.–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार भू-गर्भ के गिरते जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

जी हां ।

भू-गर्भ के गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निराकरण हेतु निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं –

(1) जल संग्रहण का सरल एवं सस्ता तकनीक अपनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर निर्गत किये गये हैं ।

(2) शहरी क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज हेतु ' रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' की योजना तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

(3) प्रदेश में परम्परागत जल स्रोतों के संवर्धन की योजना चलायी जा रही है ।

(4) प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयी योजना के अन्तर्गत कतिपय नालों पर चेक डैमों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

(5) ग्रामीण पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का 25% भू-जल रिचार्ज हेतु मद्वा कृत किया जा रहा है । त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों में स्वीकृत धनराशि का 5% श्रोतों के स्थायित्व पर व्यय किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के स्ववित्त पोषित डिग्री कालेजों के अध्यापकों को देय मासिक वेतन

*1–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्ववित्त पोषित डिग्री कालेजों के अध्यापकों का मासिक वेतन तय करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को अनुदान नहीं दिया जाता है । इनकी आय का मुख्य स्रोत शिक्षण शुल्क है । शासनादेश संख्या–2443/सत्तर-2-2002-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 में संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा अध्यापकों के वेतन मद में खर्च किये जाने का प्राविधान है ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गए ।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित कर 6 मास का विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण दिलाकर सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् राज्य स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार कराई जाएगी । श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित कर विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण दिया जाएगा । तत्पश्चात् सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण

*3–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रतिबन्ध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु ''उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली, 2002'' प्रख्यापित की गयी है, जिसके प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में शासन स्तर पर समिति भी गठित की गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

*4–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के इण्टरमीडिएट कालेजों में विषय विशेष के अध्यापकों के रिक्त पदों पर क्या सरकार अभियान चलाकर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? अध्यापकों की नियुक्ति न होने तक छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार उनकी पढ़ाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

छात्र हित में पठन-पाठन के दृष्टिकोण से विषय विशेषज्ञों की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सरेनी में जल स्तर ऊपर उठाने हेतु योजना

5–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी, जनपद रायबरेली में भू-गर्भ जल स्तर निरन्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल स्तर ऊपर उठाने हेतु तालाबों, बावली, गढ़ही एवं जल के एकत्र होने के अन्य स्थानों को सुरक्षित रखने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जल स्तर उठाने हेतु "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" की सस्ती तकनीक अपनाये जाने हेतु तकनीकी गाइड लाइन तैयार कर निर्गत की गयी है । शहरी क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज हेतु " रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग" की योजान तैयार करने हेतु "गाइड लाइन" निर्गत की जा चुकी है, किन्तु जल स्तर ऊपर उठाने हेतु तालाबों, बावली, गढ्ढो एवं जल के एकत्र होने के स्थानों को सुरक्षित रखने हेतु इस विभाग में कोई योजना नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री सत्य नारायण–

[मा० सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में यू०पी० आई०एल० सीमेण्ट कारपोरेशन एवं अपट्रान कारपोरेशन के संविदा पर तैनात कार्मिकों को देय भुगतान

2–डा० विनोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में यू०पी०आई०एल०, सीमेन्ट कारपोरेशन एवं अपट्रान कारपोरेशन के संविदा पर तैनात कार्मिकों में से केवल यू०पी०आई०एल० के कार्मिकों को ही दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? क्या सीमेन्ट कारपोरेशन तथा अपट्रान के कार्मिकों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि संविदा पर कार्यरत उक्त कार्मिकों में से कतिपय कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदनाम दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार कार्मिकों को चिन्हित कर दण्डित करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इन कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं है । शासन की नीति के अनुसार निगमों के कार्मिकों को संविदा पर रखा गया है और उनको देय भुगतान उनके पूर्व के प्राप्तियों पर निर्धारित है । यू०पी०आई०एल० के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुये हैं । शेष निगमों से आये हुए कर्मचारियों के नहीं प्राप्त हुए हैं । इन संविदा के कर्मचारियों की प्राप्तियाँ यथा अनुमन्य है । संविदा पर रखे इन कार्मिकों को मई, 2001 के पूर्व रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के जानकीपुरम् क्षेत्र में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग

3–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में जानकीपुरम् क्षेत्र के 3-4 कि०मी० के क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई राजकीय कन्या विद्यालय है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जानकीपुरम् सेक्टर–एच फेज–1 में उपलब्ध नजूल की जमीन पर राजकीय बालिका विद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । 4 किमी० के क्षेत्र में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय विकास नगर स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने की मांग

4–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या विद्यालय भवनों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण अधूरा है । 3 अधूरे उच्च प्राथमिक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना से धन की व्यवस्था की जा चुकी है । शेष 7 विद्यालयों हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा शाखा के कतिपय पदाधिकारियों की गोपनीय जांच

5–श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा शाखा जनपद–रायबरेली के कतिपय पदाधिकारियों की गोपनीय जांच करने का आदेश मा० राजस्व मंत्री, संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व, उ० प्र० ने अपने पत्र संख्या 398 वी०आई०पी०/199, दिनांक 25-4-2000 एवं स्मरण-पत्र संख्या–476 वी०आई०पी०/199, दिनांक 15-5-2001 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली को दिया था ? यदि हां, तो तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली द्वारा की गयी जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री किरनपाल सिंह–

जी हां ।

जांच में प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी का विद्यालय में नहीं आना, शिक्षण कार्य नहीं करना एवं अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनमानी कार्य कराने की शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद रायबरेली विकास क्षेत्र राही के प्रा० विद्यालय सूरजकुण्डा में परीक्षाफल समय से घोषित न करने की जांच

6–श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रा० विद्यालय सूरजकुण्डा विकास क्षेत्र राही, जनपद रायबरेली में 1994 की कक्षा–5 का परीक्षाफल समय से घोषित न किये जाने की जांच नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, सदर, रायबरेली ने वर्ष 1994 में तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, रायवरेली द्वारा वर्ष 1996 में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी तृतीय रायबरेली द्वारा अव अप्रैल, 2003 में विभागीय जांच प्रारम्भ किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री किरनपाल सिंह –

जी हां ।

पूर्व में की गयी जांच के आधार पर संवंधित कर्मचारी की मात्र स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी थी । इसको पर्याप्त दण्ड न मानते हुए अप्रैल, 2003 में निलम्बित कर विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जांच आख्या के आधार पर संवंधित कर्मचारी को बहाल कर दिया गया । परन्तु इस जांच में यह त्रुटि रह गयी थी कि संबंधित कर्मचारी से आरोपित विन्दुओं के संवंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश निर्गत नहीं किया गया था तथा जांच अधिकारी द्वारा आरोपित विन्दुओं की जांच न करके पूर्ण प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी थी जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी, रायवरेली द्वारा आपत्ति उठाई गई है इसीलिए पुनः नवीन आदेश निर्गत करते हुए उनके द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच कराई जा रही है ।

लखनऊ के हुसैनाबाद घण्टाघर की ऐतिहासिक घड़ी को ठीक कराने की मांग

7–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी है कि बादशाह मोहम्मद अली शाह द्वारा वर्ष 1842 में हुसैनाबाद, लखनऊ के घण्टाघर में लगवायी गयी घड़ी 3-4 साल से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे ठीक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

ऐतिहासिक हुसैनाबाद घण्टाघर (क्लाक टावर) की खराब घड़ी की मरम्मत कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के ब्लाक संसाधन केन्द्र के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

8–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोण्डा में डी०पी०ई०पी० योजना के तहत वर्ष 2000 में बी०आर०सी० भवन बनवाने के लिए कितना धन दिया गया ? उक्त निर्माण कार्य किस कार्यदायी संस्था को दिया गया तथा निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि क्या है ? क्या जनपद के 16 ब्लाकों में बी०आर०सी० भवन बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

जनपद गोण्डा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में ब्लाक ससाधन केन्द्र बनवाने के लिए रु० 61.28 लाख की धनराशि दी गयी थी । ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन निर्माण का कार्य कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम को दिया गया तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 60 सप्ताह निर्धारित की गयी थी । जनपद गोण्डा में 16 विकास खण्ड हैं । एक विकास खण्ड झंझरी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है, शेष 15 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन निर्माण कराने हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी । जिसमें से 11 ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन पूर्ण हो गये हैं तथा अवशेष 04 ब्लाक संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही गतिमान है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अधूरे पड़े प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की मांग

9–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या विद्यालय भवनों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

23 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है । 19 विद्यालयों हेतु वांछित अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा चुकी है । शेष 4 विद्यालयों हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की नहरों के संचालन हेतु अभियन्ताओं की सेवा लेने पर विचार

10–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की नहरों के संचालन में किन-किन जनपदों के अभियन्ताओं की सेवाएं ली जा रही हैं ? क्या सरकार नहरों के संचालन हेतु उसी जनपद के अभियन्ताओं की सेवाएं लेने पर विचार करेगी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

जनपद रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, हैदरगढ़ (बाराबंकी) व उन्नाव के अभियन्ताओं द्वारा रख-रखाव व संचालन का कार्य किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

नहरों का खण्डों के मध्य विभाजन वाटर शेड व इसके बेसिन के कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर प्राणालीवार किया जाता है । यह एक भौगोलिक बाध्यता है जबकि जनपद प्रशासनिक इकाइयां हैं । अस्तु किसी जनपद की समस्त नहरों का संचालन प्रशासनिक आधार पर गठित उन्हीं जनपदों में स्थित अभियन्ताओं के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है ।

लखनऊ के इन्दिरा नगर, गोमती नगर, चिनहट तथा समीपवर्ती गांव में महिला डिग्री कालेज खोलने की मांग

11–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, गोमती नगर, चिनहट तथा समीपवर्ती सैकड़ों गांव जो लखनऊ नगर की सीमा के अन्तर्गत आते हैं और जहां की आबादी 3 लाख के करीब है, के लिए कोई महिला डिग्री कालेज की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्दिरा नगर/गोमती नगर में एक महिला डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस क्षेत्र में महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु व्यवस्था है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 'डी' श्रेणी कर्मचारी लैब अटेन्डेन्ट के पुनरीक्षित वेतनमान की मांग

12–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या–1691/70-4/2002, दिनांक 4 जुलाई, 2002 द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव को विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला के डी श्रेणी कर्मचारी, लैब अटेन्डेन्ट के वेतनमान के सम्बन्ध में शासन को आख्या भेजने के लिए लिखा गया था ? यदि हां, तो शासन को क्या विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित वेतनमान का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहबाद के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर बिछुवा को उच्चीकृत करने की मांग

13–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर बिछुआ, इलाहाबाद के उच्चीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

फतेहपुर, बिछुआ, इलाहबाद में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ही नहीं । उच्चीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बलिया के टोंस नदी पर स्वीकृत ठोकर का निर्माण प्रारम्भ कराने की मांग

14–श्री राम इकवाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के टोंस नदी के किनारे स्थित कोडरा गांव को बचाने हेतु स्वीकृत ठोकर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्नान्तर्गत गांव को बाढ़ से बचाने हेतु राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 127वीं बैठक में संस्तुति की जा चुकी है । इस परियोजना पर उ०प्र० बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

जनपद प्रतापगढ़ ग्राम बारोकला ब्लाक मंगरौरा के राजकीय उ०मा० विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

15–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं०-70/2001, दिनांक 9-6-2001 जो प्रतापगढ़ में राजकीय उ०मा० विद्यालय ग्राम बारोकला ब्लाक मंगरौरा की स्थापना हेतु

स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ का पत्र सं०–सा०/8848/03-04, दिनांक 15-10-03 उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

नये राजकीय विद्यालयों की स्थापना नीति समाप्त होने और इस हेतु आय व्ययक में कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थापना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर के राजकीय बाल गृह में कर्मचारियों को वेतन भुगतान की मांग

16–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर में वर्ष 1999 से 2004 तक प्रतिवर्ष कर्मचारियों के वेतन भत्ते के मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या यह सही है कि पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के पश्चात् भी प्रभारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा माह नवम्बर, 2003 के वेतन का भुगतान कर्मचारियों को न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराकर सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । विवरण संलग्न है । *

समस्त कार्मिकों को माह नवम्बर, 03 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है । वेतन भुगतान कर दिए जाने के कारण किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के राजकीय बालगृह में बैकलाग की भर्ती में जुवेदा खातून की आया के पद पर भर्ती की जांच

17–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई 03 में बैकलाग की भर्ती में जुबेदा खातून की आया के पद पर राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर में तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त की शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों में विरोधाभास के सम्बन्ध में इण्डियन एकता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आर०एस० राजौरिया द्वारा दिनांक 18-12-03 को निदेशक, महिला कल्याण को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच कराकर सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– * नत्थी 'क' पृष्ठ सं०–56 पर ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के प्राइमरी स्कूल में कार्यरत शिक्षक

18–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहबाद जनपद में कितने सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं तथा इनमें कितने शिक्षकों की आवश्यकता है ? कितने नियमित प्रधानाचार्य एवं शिक्षक कार्य कर रहे हैं ? कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं तथा कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्रों की संख्या अधिक होते हुए भी कम शिक्षक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राइमरी स्कूलों में पठन-पाठन हेतु शिक्षकों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

जनपद इलाहाबाद में 2000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं । इनमें 2485 शिक्षकों की आवश्यकता है । कुल 4565 प्रधानाचार्य एवं शिक्षक कार्य कर रहे हैं । 136 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें सृजित जनशक्ति से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं एवं 1261 ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें सृजित जनशक्ति से कम शिक्षक कार्य कर रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के राम चरण इण्टर कालेज घटौली में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

19–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम चरण इण्टर कालेज घटौली, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति/प्रबन्धक द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं अपव्यय के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द्र मिश्र एवं अन्य के हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक नवम्बर, 2002 प्रमुख सचिव एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा शिकायतों की जांच सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय आडिट इकाई, कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद से करायी जा रही है । जांच कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव ब्लाक व तहसील लालगंज में संचालित जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग

20–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-सरेनी, जनपद-रायबरेली के ग्राम–खजूरगांव, ब्लाक व तहसील लालगंज में संचालित जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ग्राम खजूरगांव में मात्र एक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूल, खजूरगांव संचालित है । परिषदीय जू० हाई स्कूल को उच्चीकृत किये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के यदुवंशी इण्टर कालेज श्रृंगवेरपुर को गत वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा के अंक-पत्र विलम्ब से वितरित करने की जांच

21–श्री विद्या सागर गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदुवंशी इण्टर कालेज, श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2002-2003 में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं का परिक्षाफल घोषित कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त छात्र-छात्राओं को अंक-पत्र विलम्ब से वितरित किये गये हैं जिससे छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में प्रवेश लेने में कठिनाई हुई है ? यदि हां , तो क्यों ? क्या सरकार इस विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 2003 की परीक्षा हेतु पंजीकृत छात्रों के अर्हता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने के कारण अंक-पत्र विलम्ब से उपलब्ध कराये गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रोबेशन अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

22–चौ० विजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने प्रोवेशन अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है ? कितने के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? क्या यह सही है कि कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रचलित होने के उपरान्त भी उन्हें आहरण वितरण का अधिकार दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दो प्रोवेशन अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है । किसी प्रोवेशन अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है ।

जी हां ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध मात्र जांच प्रचलित होने के आधार पर आहरण वितरण के अधिकार से वंचित रखने की बाध्यता नहीं है ।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

23–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह–

84682 पद रिक्त हैं । बी०एड०/एल०टी० योग्यताधारी अभ्यर्थियों को 6 माह का विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी राजाज्ञा दिनांक 14-01-04 को जारी की जा चुकी है । अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के कटाव से टी०एस०बांध एवं सैकड़ों विलीन गांवों, मन्दिर आदि की सुरक्षा की मांग

24–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के कटान के कारण टी०एस० बन्धे एवं नदी के बीच में बसे सैकड़ों गांव कटान से नदी में समा चुके हैं ? क्या यह भी सही है कि डूहा बिहरा में प्राचीन बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर, मौनी बाबा का सेवा आश्रम, जंगली बाबा की कुटी खतरे में है तथा किसानों की हजारों एकड़ जमीन नदी के कटान में समाहित हो गई है जिससे किसानों के सम्मने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है ? क्या सरकार नदी के कटान से मन्दिर एवं गांवों एवं जमीन की सुरक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां । जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के दायें तट पर निर्मित टी०एस० बांध एवं घाघरा नदी के बीच बसे फ्लड् प्लेन जोन में बसे कई गांव नदी की कटान से नदी में विलीन हुए हैं । ग्राम डूहा, बिहरा में बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर तथा मौनी बाबा का सेवा आश्रम घाघरा नदी के फ्लड प्लेन जोन में अवस्थित है । नदी मन्दिर से सटकर बह रही है जिससे मन्दिर

को कटान से क्षतिग्रस्त होने का खतरा है । नदी के फ्लड प्लेन जोन में वसे गांवों एवं कृषि योग्य भूमि को नदी की कटान से सुरक्षा प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है । ऐसे ग्रामों को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर वसाया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर में विधवाओं के प्राप्त पेंशन प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित कराने की मांग

25–श्रीमती विमला राकेश तथा प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में दिसम्वर, 2003 तक कितने प्रार्थना-पत्र विधवा पेंशन के प्राप्त हुए उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों पर पेंशन स्वीकृत होने पर विधवाओं को मिल रही है तथा कितने अभी लम्वित हैं ? लम्वित प्रार्थना-पत्रों पर कव तक पेंशन स्वीकृत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सीतापुर में दिसम्वर, 2003 तक कुल 16852 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

वर्तमान में 6665 आवेदन-पत्र लम्वित हैं ।

पेंशन हेतु लम्वित आवेदन-पत्रों पर शासन के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

26–श्रीमती विमला राकेश तथा प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

[तीसरे वुधवार के अता० प्र० सं०–35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान योजना एवं उपलब्धियां

27–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या वेसिक शिक्षा मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान योजना क्या है ? इस योजना से प्रदेश में कितना लाभ हुआ है ? क्या सरकार इस वारे में विवरण उपलब्ध करायेगी ?

श्री किरन पाल सिंह–

सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की केन्द्र पुरो निधानित योजना है जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है । यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है तथा इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में विस्तार, वच्चों के ठहराव के वृद्धि तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1– 3998 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 7570 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय असेवित ग्रामों में खोले गये हैं । अतः 11568 ग्रामों के वच्चों को शिक्षा की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है । शिक्षा की पहुंच का विस्तार हुआ है ।

2– 10229 कक्षा-कक्षों, 7352 शौचालयों तथा 2325 पेयजल सुविधा स्थापित करने की व्यवस्था की गयी जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत वच्चों को सुविधा प्राप्त हुई ।

3– 12 विकास खण्डों में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र स्थापित किये तथा 106 न्याय पंचायतों में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये ।

4–सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया जिसमें तीन वर्षों में 123 लाख बच्चे लाभान्वित हुये ।

5– विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के अन्तर्गत 68093 बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण का लाभ प्राप्त हुआ तथा समन्वय से 13952 बच्चों को निःशुल्क उपकरण भी उपलब्ध कराये गये ।

6– 82038 शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ ।

7–ग्राम शिक्षा समितियों के 51005 सदस्यों को सर्व शिक्षा अभियान में उनकी भूमिका सम्बन्धी प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ ।

8–छोटी बस्तियों तथा बच्चों के विशिष्ट समूहों की शिक्षा हेतु 18086 शिक्षा गारेन्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक नवाचारी शिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये गये ।

जनपद सोनभद्र में अवैध खनन की जांच

28–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में हो रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह सितम्बर, अक्टूबर, 2003 में भेजे गये पत्र के आधार पर कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच के उपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

जी हां ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन खनन अधिकारी श्री ए० के० सेन, (सम्प्रति निलम्बित) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल के जनपदों के महाविद्यालयों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध करने की मांग

29–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल के जनपदों के महाविद्यालयों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बद्ध करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है ।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित को तृतीय श्रेणी में नियुक्त करने विषयक

30–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम/83253 /2003, दिनांक 4 अगस्त, 03 जो मृतक आश्रित को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में

था, सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद में लिपिक का पद रिक्त न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति-पत्र निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा विभाग में नर्सों की वरिष्ठता सूची

31–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कार्यरत नर्सों की वरिष्ठता सूची वर्ष 2003 में प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें आगरा मण्डल की सभी नर्सों का नाम सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आगरा मण्डल में नियमित रूप से नियुक्त सभी नर्सों का नाम सम्मिलित किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सरेनी के दिदौर रजबहा डलमऊ–''ए'' लिफ्ट सिंचाई परियोजना से सेवित नहर की सिंचाई क्षमता

32–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरेनी, जनपद रायबरेली में दिदौर रजबहा डलमऊ–''ए'' लिफ्ट सिंचाई परियोजना से सेवित नहर की क्षमता क्या है ? क्या इस रजबहे में जल आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रजबहे का नाम दिदौर नहीं बल्कि देदौर है । इस प्रणाली का कुल सी०सी०ए० 4914 हे० है, जिसके विरुद्ध खरीफ में 3292 हे० तथा रबी में 2363 हे० क्षेत्र की सींच की क्षमता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं का स्थायीकरण

33–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के स्थायीकरण का मामला गत वर्ष से मण्डल/निदेशालय स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इसका निस्तारण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रवक्ता के 03 प्रकरण निदेशालय स्तर पर तथा स्नातक वेतनक्रम के 30 प्रकरण मण्डल स्तर पर लम्बित हैं ।

स्थायीकरण उपलब्ध पदों के प्रति ज्येष्ठताक्रम में ही किया जाता है । प्रवक्ताओं के स्थायीकरण हेतु प्रदेश स्तर से वांछित सूचना एवं अभिलेख निदेशालय द्वारा मण्डलों से मांगे गये हैं । शासन स्तर से निदेशालय को आवश्यक सूचना प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । स्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों के स्थायीकरण के लिये मण्डल स्तर से कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयों का भुगतान

34–श्री अक्षयवर लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आवेदन पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा दिनांक 13-2-03 को शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित शिक्षकों को उक्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर चिकित्सा विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद की मनोविज्ञानशाला में नियुक्त सहायक मनोवैज्ञानिकों का विनियमितीकरण

35–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद में वर्ष 1991-1992 में तदर्थ नियुक्त सहायक मनोवैज्ञानिकों का विनियमितीकरण कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में सचिव, कार्मिक के शासनादेश सं०–15/18/86 का–1–200 दिनांक 20-12-2001 तथा उप सचिव उ० प्र० शासन सं०–2927/15–2–02–27/1571/2002, दिनांक 24-3-2003 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त तदर्थ नियुक्त सहायक मनोवैज्ञानिकों को कब तक विनियमित कर दिया जाएगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 5-2-2004 द्वारा विनियमितीकरण कर दिया गया है ।

प्रदेश में घाटे में चल रहे विश्वविद्यालयों का विवरण

36–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन विश्वविद्यालय 31 मार्च, 2003 तक वित्तीय घाटे में हैं तथा इस घाटे के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस वित्तीय घाटे को दूर करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन प्रभावी ढंग से लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निम्नलिखित विश्वविद्यालय घाटे में हैं :–

1–लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

2–इलाहाबाद वि०वि०, इलाहाबाद

3–दीनदयाल उपा० गोरखपुर वि०वि०, गोरखपुर

4–मा० गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

5–सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि०वि०, वाराणसी

6–चौ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ

आय से अधिक व्यय होने के कारण उक्त विश्वविद्यालय घाटे में हैं ।

शासन द्वारा समय-समय पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने हेतु निर्देश समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को दिये जाते रहे हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र सरैनी के सेमरपहा रजबहा में जलापूर्ति का कथित प्रकरण

37–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरैनी जनपद रायबरेली से सेमरपहा, रजबहा में जलापूर्ति न हो पाने के कारण कृषकों की भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त रजबहा में जलापूर्ति करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

विधान सभा क्षेत्र सरैनी, जनपद रायबरेली में सेमरपहा नाम से कोई भी रजबहा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में स्थित डलमऊ पम्प नहर पर स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति

38–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डलमऊ की लिफ्ट सिंचाई योजना जनपद रायबरेली को क्या विद्युत आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से की जा रही है ? यदि हां, तो कितने मेगावाट विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां । जनपद रायबरेली में स्थित डलमऊ–ए पम्प नहर पर विद्युत आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से की जा रही है ।

इस पम्प नहर के प्रथम चरण पर अनुबंधित विद्युत भार 9.00 मेगावाट है तथा द्वितीय चरण पर विद्युत भार 4.55 मेगावाट है । पम्प नहरों के दोनों चरणों पर औसतन विद्युत आपूर्ति 23 घण्टे प्रतिदिन है ।

भाषा विभाग में नये भाषा अनुभाग का गठन करने का निर्णय

39–श्री कोविद कुमार सिंह तथा कुँ० वृजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि भाषा विभाग तथा भाषा संस्थान के गठन के सम्बन्ध में दिनांक 25-6-1994 को उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सचिवालय के अलग-अलग विभागों में कराये जाने वाले अभेकों भाषायी संस्थानों/अकादमियों के प्रशासकीय कार्य भाषा विभाग को स्थानान्तरित किए गए थे तथा उक्त बैठक में इन संस्थानों/अकादमियों के कार्यों के निष्पादन हेतु भाषा विभाग में एक भाषा अनुभाग गठित करने का निर्णय भी लिया गया था ? यदि हां, तो क्या भाषा विभाग में उक्त नये भाषा अनुभाग का गठन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

विभाग का कार्य अध्ययन कराने के बाद कार्य अनुभाग के गठन पर परामर्श संस्तुति प्रशासनिक सुधार विभाग ने की थी । कार्य अध्ययन करा लिया गया है, प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य अध्ययन रिपोर्ट पर भाषा विभाग का मन्तव्य सचिवालय प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है ।

जनपद जालौन के प्राइमरी पाठशालाओं में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती

40–कुँ वृजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कितनी ऐसी प्राइमरी पाठशालाएं हैं, जिनमें मात्र एक अध्यापक ही नियुक्त है ? क्या सरकार एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

वर्तमान समय में जनपद जालौन में ।। प्राथमिक पाठशालायें ऐसी है, जिनमें मात्र एक ही शिक्षक नियुक्त है ।

जी हां ।

शीघ्र ही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कतिपय विभागों में चेयर्स की नियुक्ति हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी

41–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 1998-99 में भौतिकी विभाग में प्रो० मेघनाथ साहा चेयर हेतु 70 लाख रु० वर्ष 1999-2000 में संस्कृत विभाग में

पं० गंगानाथ झा चेयर हेतु 70 लाख रु० तथा हिन्दी विभाग में निराला चेयर हेतु 70 लाख रु० शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इन चेयर्स पर नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में भौतिकी विभाग में प्रो० मेघनाथ साहा चेयर हेतु 70 लाख रु०, वर्ष 1999-2000 में संस्कृत विभाग में पं० गंगानाथ झा चेयर हेतु 50 लाख रु० तथा हिन्दी विभाग में निराला चेयर हेतु 50 लाख रु० स्वीकृत किये गये हैं ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा प्रदेश में नियुक्तियों पर रोक लगी होने के कारण नियुक्तियों की कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जनपद सीतापुर में राजकीय बाल गृह के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत कराने की मांग

42–श्रीमती विमला राकेश –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में राजकीय बाल गृह (शिशु) का भवन जीर्णक्षीर्ण होने के कारण संस्था में शिशुओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सच है कि राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर किराये के भवन में संचालित है सम्प्रति भवन में मरम्मत की आवश्यकता है लेकिन इस कारण शिशुओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा हो, यह सही नहीं है । किराये के भवन में शासन की ओर से मरम्मत कराया जाना संभव नहीं है । वैकल्पिक व्यवस्था विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के महिला कल्याण निदेशालय में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक के सृजित पदों पर नियुक्ति की मांग

43–श्रीमती विमला राकेश –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश में अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के कितने पद सृजित हैं ? उनमें कितने रिक्त हैं, क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक का केवल एक पद सृजित है । सम्प्रति इस पद के सापेक्ष नियुक्ति विभाग द्वारा अपर निदेशक पद के अनुमन्य वेतनमान में कार्यरत अधिकारी तैनात हैं । उक्त के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक (उ०प्र० सिविल सेवा संगर्व) का एक पद शासनादेश सं० 1144/60-3-99(132)/99 दिनांक 1-9-1999 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन क्षेत्र के सीमान्त महिलाओं के पुनर्वासन योजना के संचालन हेतु स्वीकृत है जो सम्प्रति रिक्त है और इस पद के सापेक्ष जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जनपद में तैनात अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है ।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद बहराइच के राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधानाचार्या द्वारा समाज शास्त्र एवं भूगोल प्रवक्ता के पद सृजित करने का प्रस्ताव

44–श्री मुकुट विहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बहराइच द्वारा अगस्त, 03 में समाज शास्त्र एवं भूगोल प्रवक्ता के एक-एक पद सृजित किये जाने का कोई प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद बहराइच में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण समाज शास्त्र एवं भूगोल प्रवक्ता का पद सृजित किया जाना संभव नही है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद बहराइच के राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की कक्षाएं संचालित करने हेतु प्रस्ताव

45–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बहराइच की प्रधानाचार्या द्वारा विद्यालय में इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की कक्षायें संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अगस्त, 2003 को विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद बहराइच में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समवेश योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण विज्ञान की कक्षायें संचालित कराया जाना संभव नही है ।

प्रश्न ही नही उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

46–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय वर्ष 1997-98 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विशेष मरम्मत हेतु 100 लाख रुपये तथा अध्यापकों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के लिए 42.99 लाख रु० की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराया गया ? क्या सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि से विद्युत एवं सिविल सम्बन्धी रख-रखाव का कार्य किया गया । अध्यापकों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 59.11 लाख का पुनरीक्षित आगणन कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

जी नहीं ।

अध्यापकों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र हेतु अतिरिक्त 16.12 लाख के अन्तर की धनराशि को विश्वविद्यालय को अपने श्रोतों से वहन करके शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य

47–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु 61.77 लाख रु० महिला छात्रावास को पूर्ण करने हेतु 24.50 लाख रु० दो नये नलकूप लगाने हेतु 30.84 लाख रु० तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आवासीय सुविधा हेतु 56.47 लाख रु० अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बहुउद्देशीय भवन के मुख्य हाल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । महिला छात्रावास दो नलकूप तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आवासीय सुविधा हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत छात्रों के परीक्षा केन्द्रों का आवंटन

48–कुँ० वृजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत छात्रों के वर्ष 2004 के परीक्षा केन्द्र 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर उरई क्षेत्र में बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्थागत परीक्षार्थियों की भांति स्वकेन्द्र योजना के तहत व्यक्तिगत छात्रों को भी उक्त सुविधा का लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र निर्धारण संबंधी शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 की व्यवस्था के अनुसार निकटस्थ परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा श्री रमेश निषाद, निवासी जिला हमीरपुर को दिया गया ग्राम हरिहरपुर एहतमाली, तहसील व जिला उन्नाव का बालू खनन पट्टा निरस्त करने की मांग

49–श्री मुश्ताक सोलंकी–

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा ग्राम हरिहरपुर एहतमाली, परगना सिकन्दरपुर, तहसील व जिला उन्नाव का बालू खनन पट्टा श्री रमेश निषाद निवासी कलौलीतीर, जिला हमीरपुर को नियम–9 (क) (1) (क) के विपरीत वर्ष 1997 में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खनन पट्टे को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

उक्त खनन पट्टे के सम्बन्ध में सम्प्रति तीन रिट याचिकायें, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन है । अतः उक्त खनन पट्टे को निरस्त करने अथवा न करने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर है ।

प्रदेश में उ०प्र० निर्यात निगम की शाखायें एवं शो रूम

50–श्री अनिल सिंह

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ०प्र० निर्यात निगम की प्रदेश में कुल कितनी शाखाएं एवं शोरूम हैं, उनमें से कितनी शाखायें/शोरूम बन्द हैं ? कितनी घाटे में चल रही हैं और कितनी मुनाफे में चल रही हैं ? क्या सरकार बन्द शाखायें/शोरूम को पुनः चालू करने हेतु निजी उद्यमियों का सहयोग लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)–

उ०प्र० निर्यात निगम की प्रदेश में कुल 02 शाखाएं एवं 06 शोरूम हैं ।

कोई नहीं ।

03 शो रूम लाभ में तथा 03 हानि में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उटता ।

कानपुर नगर स्थित राजकीय बालगृह का आकस्मिक निरीक्षण

51–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर नगर स्थित राजकीय बाल गृह का आकस्मिक निरीक्षण पूर्व राज्य मंत्री महिला कल्याण उ० प्र० द्वारा दिनांक 24-1-03 को किया गया था ? क्या यह सही है कि निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्टोर इन्चार्ज द्वारा स्टोर का चार्ज न देने के कारण संवासियों को कठिनाइयां हो रही हैं ? क्या यह भी सही है कि निदेशक महिला कल्याण के पत्र संख्या–189–93/निदे० म० क०/स्था०/2003–04 दिनांक 24-4-03 द्वारा वेतन भुगतान न दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नही उठता ।

कानपुर में संचालित कतिपय राजकीय महिला आश्रम बाल सदन तथा सम्प्रेक्षणगृह में संवासियों/संवासिनियों के भोजन सामग्री आदि की आपूर्ति के भुगतान में अनियमितताओं की जांच

52–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर में संचालित राजकीय महिला आश्रम, राजकीय किशोर गृह, राजकीय बाल सदन तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में संवासियों तथा संवासिनियों के भोजन सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं स्टेशनरी आदि की आपूर्ति वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा एक ही सामग्री भिन्न-भिन्न दरों पर आपूर्ति प्राप्त कर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करके लाखों रुपयों की वित्तीय अनियमितता की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि में भुगतान की गई धनराशि के विलों का भौतिक सत्यापन करा कर दोषी आहरण-वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांच के उपरान्त परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर तहसील बिल्हौर व घाटमपुर के विकास खण्डों में निराश्रित महिला योजना अन्तर्गत महिलाओं को अनुदान की राशि के भुगतान की जांच

53–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि निराश्रित महिला योजना के अन्तर्गत जनपद-कानपुर नगर में तहसील-बिल्हौर व घाटमपुर के विकास खण्डों में पात्र लाभार्थी महिलाओं को वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में धनराशि उपलब्ध रहते हुये अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-01 में लगभग अट्ठारह लाख रुपये को समर्पित कर दिया गया तथा शतप्रतिशत भुगतान के फर्जी आंकड़े शासन को प्रस्तुत किये गये ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भगत योजना में पात्र महिलाओं को अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है लेकिन निर्गत किए गए चेकों में से बड़ी संख्या में चेक कतिपय त्रुटियों के कारण विभाग को वापस प्राप्त हुए । वर्ष 2000-01 में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे वापस हुए चेकों के अन्तर्गत अन्तर्निहित कुल 5 लाख रुपये की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा कराई गई है । जी हां समयवद्ध रूप से जांच कराकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर की तहसील घाटमपुर में पति विहीन निराश्रित महिला अनुदान योजनान्तर्गत पेंशन भुगतान की मांग

54–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पति विहीन निराश्रित महिला अनुदान योजना के अन्तर्गत कानपुर की तहसील घाटमपुर की पात्र लाभार्थियों को दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि में पेंशन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर की पात्र लाभार्थियों को दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि में पेंशन का भुगतान किया गया था तथा उक्त अवधि की अवशेष 302 लाभार्थियों में से वर्तमान में 233 पात्र लाभार्थियों को दिनांक 14-1-04 को उनके खाते में चेक द्वारा धनराशि अन्तरित कर दी गई है शेष 69 लाभार्थी पुनर्विवाह मृतक अथवा अन्य कारणों से अपात्र हो गए हैं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में कार्यरत जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा वित्त विभाग द्वारा डी०डी०ओ० कोड का आवंटन

55–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यरत हैं ? उक्त अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा आहरण वितरण किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने अधिकारी ऐसे हैं जो आहरण वितरण अधिकारों से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित अधिकारियों को आहरण वितरण का अधिकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में कुल 44 जिला प्रोबेशन अधिकारी सेवा में है।

जी हां।

किसी भी जिला प्रोवेशन अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार से वंचित नही किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश के जिला प्रोबेशन अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का अधिकार

56–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी को क्या अपने अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यरत कर्मचारियों को आठ वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर सलेक्शन ग्रेड देने का अधिकार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या कानपुर मण्डल, कानपुर के जिला प्रोवेशन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कतिपय कर्मचारियों को उक्त सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर वित्तीय अनियमितता के दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

दस कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आगरा में स्वीकृत विधवा पेंशन

57–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद आगरा में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? 1 जनवरी, 2003 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र पेंशन हेतु प्राप्त हुए हैं ? क्या उन्हें पेंशन स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में जनपद आगरा में 10178 पतियों की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेशन दी जा रही है । 1 जनवरी, 2003 से अब तक 695 नवीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । वित्तीय वर्ष 2003-04 में 269 नवीन विधवाओं को पेशन स्वीकृत की गई है । शेष आवेदन-पत्रों पर निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर लिया जाना संभव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर के राजकीय बाल शिशु गृह में तैनात कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

58–प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक मा० श्री मोहर सिंह का निदेशक, महिला कल्याण उ० प्र० को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-12-03 जो जनपद सीतापुर में राजकीय बाल शिशु गृह में तैनात कर्मचारियों का वेतन माह नवम्बर, 2003 में दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर निदेशक, महिला कल्याण ने जिला प्रोवेशन अधिकारी, सीतापुर को वेतन भुगतान कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 31-12-2003 को दिये थे ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

माह नवम्बर, 2003 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

(12 वजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या–02 लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य श्रीमती बेनी बाई के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती बेनी बाई का 08 फरवरी 2004 को निधन हो गया । वे लगभग 74 वर्ष की थी । श्रीमती बेनी वाई का जन्म 13 अगस्त, 1930 को ग्राम छिरौरा, जिला झांसी में हुआ था । वे स्नातक तथा साहित्यरत्न थीं । श्रीमती बेनी बाई सर्वप्रथम वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र मऊ, जिला झांसी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं । तत्पश्चात् वे वर्ष 1962, 1967,1974,1980 तथा 1985 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई । श्रीमती बेनी वाई कांग्रेस की एक योग्य, कर्मठ एवं समर्पित कार्यकर्ता थीं । विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वे जिला कारागार झांसी एवं लखनऊ में राजनीतिक बन्दी भी रही । वे प्रदेश तथा जिला स्तर की अनेक समितियों तथा संस्थाओं के विभिन्न पदों पर आसीन रहीं । वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) की कार्यकारिणी की सदस्य तथा अखिल भारतीय कांग्रेस (ई) कमेटी की भी सदस्य रह चुकी थी । वे श्री श्रीपति मिश्र मंत्रि मण्डल में राज्य मंत्री तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मंडल में भी राज्य मंत्री तथा मंत्री रहीं । जनसेवा, सामाजिक उत्थान, साहित्यिक अध्ययन तथा राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी । श्रीमती बेनी बाई के निधन से जिला झांसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एव समाजसेवी खो दिया ।

हम उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोलीकाण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कह लेने दें, मैं अपनी बात बिल्कुल संसदीय और लोकतांत्रिक भाषा में ही कहूंगा । मान्यवर, 13 जनवरी, को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 09 जनपदों और चार मण्डल खत्म किये जाने का फैसला लिया । इस फैसले से आहत औरैया जनपद के नागरिकों ने 16 जनवरी से शान्तिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया । औरैया के नागरिकों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया, जिला बचाओ संघर्ष समिति, उसका मुझे संयोजक बनाया गया शान्तिपूर्ण अहिसांत्मक आन्दोलन 16 जनवरी से प्रारम्भ हुआ । 20 जनवरी को औरैया स्थित शहीद पार्क में 50 हजार लोगों ने धरना देकर के उत्तर प्रदेश सरकार से अपने फैसले पर पुनः पुनर्विचार करने का अनुरोध किया । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से बयान आया कि इस फैसले पर किसी तरह का कोई पुनर्विचार नहीं किया जायेगा । जिला बचाओ संघर्ष समिति ने 29 जनवरी को जी०पी०ओ० पार्क पर जिला प्रशासन लखनऊ की अनुमति के साथ हजारों नागरिकों सहित धरना दिया । यह धरना भी शान्तिपूर्ण था, अहिंसात्मक था और औरैया के लोग जनपद बहाली की मांग करने आये थे । उसी दिन एक प्रतिनिधिमण्डल महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिला था । महामहिम जी को ज्ञापन देकर प्रतिनिधि मण्डल ने मांग की थी, विभिन्न बिन्दुओं पर कि हम चाहते हैं कि जिला बहाल किया जाय और इस ज्ञापन को उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पुर्नर्विचार के लिए भेज दिया जाय । इसके बाद श्रीमन् उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को एक फैसला दिया जिसमें स्थगन आदेश प्राप्त हुआ । उस स्थगन आदेश के बाद आन्दोलन शान्त हुआ, आन्दोलन के नेताओं ने खुशी जाहिर की । मामला न्यायालय में पहुंच गया । न्यायालय जो भी फैसला देगा वह आन्दोलनकारी नेताओं को और उत्तर प्रदेश की सरकार को मान्य होगा । मान्यवर, इसी बीच माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12 फरवरी को औरैया जाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया । चूँकि एक महीने से आन्दोलन चल रहा था लोग जिला खत्म करने से आहत थे । धरना प्रदर्शन और सभाएं हो रही थीं । लोगों में तनाव था । लिहाजा जिला संघर्ष समिति ने अनुरोध किया था माननीय मुख्य मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और केन्द्र के माननीय गृह मंत्री जी से कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम औरैया में सम्पन्न होता है तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है । लेकिन मान्यवर, कुछ भी नहीं सुना गया और 12 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी औरैया पहुंचे ।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं केवल इतना कहना चाहता हूं कि औरैया के लोग एक महीने से अहिंसात्मक तरीके से गांधीवादी तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से आन्दोलन चला रहे थे । श्रीमन् लोकतंत्र में अपनी बात कहने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है । मैं किसी भी दल का सदस्य हूं, विधान सभा में चुनकर आया हूं, दल से ऊपर जनभावनाएं हैं । मैं जनभावनाओं के साथ आदर करते हुए काम कर रहा था ।

एक सदस्य–

तो आप इस्तीफा दे दें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

इस्तीफे की बात कहूंगा, उस मुराद को भी पूरा करूंगा । मान्यवर, निहत्थे लोग आन्दोलन चला रहे थे उस दिन भी निहत्थे लोग थे । लेकिन 12 तारीख को सुनियोजित तरीके से निहत्थे लोगों पर लाठी चलाई गयी गोलियां चलाई गयी, पत्थर चलाये गये । दिन भर सुबह से शाम तक सड़कों पर तनाव पैदा किया पुलिस ने । मान्यवर, इस सदन में चर्चा हुई अखबारों में लिखा गया कि 300 राउण्ड गोलियां चलायी गयी । सुबह 10 बजे से 3 बजे तक । मान्यवर, आजादी के बाद हिन्दुस्तान के किसी भी कस्बे में इतनी गोलियां कभी नही चली । (विपक्ष की ओर से शेम-शेर की आवाजें)

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी घरों पर दीवारों पर गोलियों के निशान हैं । मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि वहां बबलू पाल के हाथ में गोली लगी है । वह आज भी घायल है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसमें समय की सीमा का निर्धारण होना चाहिए । इस पर सदन में माननीय नेता सदन अपनी बात कह चुके हैं । अब यह मामला सदन के संज्ञान में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, अगर मेरी व्यथा इस सदन में नहीं सुनी जायेगी तो और कहां कहूंगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह किसी नियम में नहीं है यह आपकी उदारता है जो आपने इन्हें बोलने का मौका दिया । लेकिन यह कहानी कहने की जगह नही है, जो कहने वाली बात है कह दें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, इस सदन को हमको देखना चाहिए और सारे लोगों को सीखना चाहिए इस पर गौर करना चाहिए । गोली चली, गोली चलने का ठोस सबूत है बबलू पाल नामक नौजवान गोली से घायल हुआ है यह इस बात का सबूत है कि औरैया में गोली चली है पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि गोली चली है लेकिन रबर की गोली चली है । मान्यवर, अधिकारियों का ट्रान्सफर 12 फरवरी को 12 बजे रात को इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने खोखा जमा कर दिया था । मान्यवर, गोली चली है लाठी चली है हजारों लोग घायल हुए हैं, मैं स्वयं घायल हुआ हूं यह फ्रैक्चर है । मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारा जिला खत्म हुआ तो मैंने यह लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर दी थी, कौन सा मैंने अपराध किया था अगर लोकतांत्रिक तरीके से मांग करता हूं कि हमारा जिला बना रहने दिया जाय तो कौन सी बुराई है अगर किसी का जिला किसी की तहसील किसी का ब्लाक, किसी का घर खत्म कर दिया जाय तो किसको बुरा नहीं लगेगा और जब मैं अपनी मांग कर रहा था तो मेरे साथ यह किया जा रहा है और फिर इस सदन में आकर आगे कहा जा रहा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करिये ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, जब मीडिया इस सच्चाई का उजागर कर देता है तो कहा जाता है कि मीडिया के लोग माफिया हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ये आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मुझे संरक्षण चाहिए । अगर मुझे यहां न्याय नहीं मिलेगा इस विधान सभा में तो मैं न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाने जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नही जा रहा है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

[x x x]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाठक जी, आपको पांच मिनट का समय दिया था अब आपकी बात आ गयी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी सारी बातों को सुन लिया है, मैं उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अब कार्यसूची की मद आगे बढ़ने दीजिए ।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 फरवरी 2004 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं सदन के संज्ञान में लाने हेतु प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी । पहली सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की पढ़ी हुई मानी गयी, दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की, पढ़ी हुई मानी गयी तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, वह उपस्थित नही हैं, चौथी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की, पढ़ी हुई मानी गयी, पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह'' की पढ़ी हुई मानी गयी, छठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की पढ़ी हुई मानी गयी, सातवीं सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की, पढ़ी हुई मानी गयी, चूंकि श्री सुरेश कुमार खन्ना उपस्थित नहीं हैं । अतः उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में पहली सूचना श्री मदन चौहान की है वह भी उपस्थित नहीं है, अतः दूसरी श्री जगदीश नारायण राय की सूचना को लेते हैं जो पढ़ी हुई मानी गयी । माननीय सदस्यों के नाम, जिनकी सूचनाएं अस्वीकार हुई इस प्रकार हैं डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री नवाब सिंह नागर, श्री रामनरेश यादव एवं श्री काशी राम ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद सुल्तानपुर में ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए आरक्षित जमीन पर दुकानें एवं अन्य शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 109 सुल्तानपुर में नगर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को ध्यान में यह रखते हुए काफी समय पूर्व ही एक ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने हेतु करीब 10 एकड़ जमीन लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर प्रयागीपुर चौराहा के पास ली गयी थी, स्थल पर वाउण्ड्री काफी समय पूर्व बनायी गयी तथा ट्रान्सपोर्ट नगर का बोर्ड भी लगाया गया है परन्तु अभी तक अन्दर दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया है न ही व्यवसाइयों को बताने की कार्यवाही ही प्रारम्भ की गयी है । लोग महत्व के नियम 301 के ध्यानाकर्षण की सूचना द्वारा मैं यह मांग करता हूं कि ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए आरक्षित की गयी जमीन का शीघ्र ही दुकानों का निर्माण तथा अन्य बचे शेष कार्य को पूर्ण कराकर व्यवसाइयों को बसाने हेतु निर्देश देने की अनुकम्पा करेंगे ।]

प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने हेतु थानों में जांच रिपोर्ट लगाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

[मान्यवर, जनता को पासपोर्ट बनाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एक तो लखनऊ में पासपोर्ट कार्यालय में अवैध धन उगाही होती है पहले एल०आई०ओ० द्वारा जांच रिपोर्ट प्रदेश पासपोर्ट कार्यालय को भेजा जाता था पूर्व की सरकार ने शासनादेश जारी करके थानों से भी रिपोर्ट भेजी जाय । अब आवेदक को थानों का चक्कर लगाना पड़ता है हजारों रुपया थाने वाले ले लेते हैं और समय भी लगाते हैं । अतः इस लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार तत्काल इस मुसीबत से बचने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मऊ के ग्राम–ताजीपुर में हिंसात्मक घटनाओं पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह –

[मान्यवर, दिनांक 13-8-03 को ग्राम ताजीपुर जनपद मऊ में सूर्यनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, आराजी नम्बर 1333/2260 के भूमिधन बैंक जोतने लगे उसी समय सैकड़ों लोग बम, गोली ईंट-पत्थर से हमला कर दिए । जिसमें दोनों पक्षों के ऊपर आई०पी०सी० की धारा 307 दर्ज हुई । सूर्यनाथ सिंह, जयनाथ सिंह सहित 37 लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिये गये जबकि दूसरे पक्ष पर 307 भा०द०सं० की धारा लगी थी अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई उल्टे 60 लोग फर्जी मेडिकल बनवाकर करीब 14 लाख रुपया सरकार के बहादुरी पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए । वर्तमान समय के मा० मंत्री आजम खां जी तथा माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी तथा मा० श्री राम प्यारे सिंह जी मौके पर गये थे तथा जयनाथ सिंह और ताजीपुर गांव के 37 परिवारों की दुर्दशा देखे थे जिसमें ढाई वर्ष के बच्चे का पैर घुमा कर थानाध्यक्ष ने फेंक दिया था ।

उस समय जयनाथ सिंह वगैरह धान बोये तथा मा० मायावती जी की सरकार थी लेकिन अफसोस है कि किसान अपना धान काटने गया तो सपा पार्टी की सरकार थी धान पुलिस और गांव वाले नहीं काटने दिये धान खेत में झड़ गया जब एस०पी० का निर्णय है कि जो धान बोयेगा व काटेगा । किसान अपने खेत में गेहूं बोना चाहते थे, खेत जोतना चाहते हैं जिला प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रहा है । अतः इस गम्भीर समस्या पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय स्थानों पर विद्युतीकरण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह''–

[मान्यवर, सरकार का ध्यान जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खंड मंगरौरा, आसपुर देवसरा, विकास खण्ड पट्टी में वर्ष 1996 से अब तक कई दर्जन ग्रामों में विद्युतीकरण की सुविधा की दृष्टि से पोल खड़े हैं परन्तु अभी तक न तो ट्रान्सफार्मर लगे हैं न ही तार खींचने आदि की कार्यवाही पूर्ण की जा सकी है जिसके कारण गम्भीर जनाक्रोश के साथ-साथ कई लाख लोगों को विद्युतीकरण की सुविधायें जोड़ा नहीं जा सका है । विद्युत विभाग ने कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कई बार आश्वासन भी दिया है फिर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है । जिससे ग्रामीणों द्वारा व्यवस्था के प्रति अविश्वास के भाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं तथा तरह-तरह की प्रतिकूल टिप्पणी भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा रही है । अतः लोग महत्व से जुड़े अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराये जाने हेतु समयबद्ध कार्यवाही हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु अनुरोध करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के विवेकानन्द पालीक्लीनिक तथा राम कृष्ण मिशन सेवा आश्रम के उच्चीकरण हेतु केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न तथ्यों को लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं विवेकानन्द पालीक्लीनिक लखनऊ राम कृष्ण मिशन सेवा आश्रम जो कि विश्व की प्रसिद्ध

अध्यात्मिक एवं धर्मार्थ संस्था है का एक वहु आधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय है जो साधारण जनता को वहुत कम मूल्यों पर आधुनिक चिकित्सा पिछले 4 दशकों से उपलव्ध कराता आ रहा है, इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में भी वह पूर्णतया निःशुल्क चिकित्सा विना किसी भेदभाव के अपनी सचल चिकित्सालय के माध्यम से प्रदान कर रहा है जिससे असंख्य निर्धन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। यह संस्था एक धर्मार्थ संस्था है इसलिए संस्था को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान एवं अन्य दाताओं के द्वारा दिये गये दान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी क्रम में केन्द्रीय योजना आयोग ने वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिये विवेकानन्द पालीक्लीनिक लखनऊ को ऊच्चीकृत करने के लिए 4 करोड़ रुपये उपलव्ध कराये जिसकी सूचना उ०प्र० शासन के पत्र सं० पी०एस०35(क)/5-7-2003 दिनांक 27-7-2003 द्वारा विवेकानन्द पालीक्लीनिक को दी गयी परन्तु खेद का विषय है कि वर्तमान सरकार ने पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संस्था को उक्त धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। मिली जानकारी के अनुसार इस राशि को किसी और मद में खर्च कर दिया गया है। अतः मैं गरीव जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और सरकार से इस विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं।।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय मार्गों पर गड्ढों के कारण यातायात जाम व दुर्घटनाओं से मुक्ति के लिए मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम–

।मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद वुलन्दशहर में वुलन्दशहर से वदायूं रोड पर मिर्जापुर, जटपुरा सलेमपुर पर एक एक मीटर गहरे गड्ढे हो गये हैं, वुलन्दशहर से नरौरा वदायूं होता हुआ यह रोड लखनऊ से जुड़ता है, आये दिन यहां पर गड्ढों के कारण वाहन फंसते रहते तथा रास्ता जाम रहता है एवं दुर्घटनायें भी होती रहती हैं इसी प्रकार से वुलन्दशहर अनुसार रोड पर शिवाली गांव का भी यही हाल है इनके प्राक्कलन तैयार होकर लोक निर्माण विभाग वुलन्दशहर में जमा है परन्तु अभी तक इन सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। उपरोक्त मार्गों का निर्माण न होने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्वनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का अविलम्व निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।।

जनपद जौनपुर में 33/11 के०वी०ए० उपकेन्द्र के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

।मान्यवर, प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विद्युत वोल्टेज के घटते-वढ़ते रहने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को वड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डिम लाइट के कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते तथा किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। विद्युत वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 33/11 के वी० उपकेन्द्रों की स्थापना त्वरित गति से की जा

नोटः– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है । इसी क्रम में जनपद जौनपुर के थाना गद्दी (ग्राम छातीडीह) में नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से कराये जाने का निर्णय लिया गया था । अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मैनपुर द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को 50 लाख रुपया पूर्वांचल विकास निधि से उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है । उक्त उपकेन्द्र की अनुमानित लागत रुपया 95.93 लाख में पूर्वांचल विकास निधि से दी गयी धनराशि के बाद अवशेष 45.93 लाख रुपया की व्यवस्था उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाना था । उक्त धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है जबकि पूर्वांचल विकास निधि से प्राप्त धन से सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है । उक्त उपकेन्द्र के अधूरा बने रहने से क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष की भावना व्याप्त है । अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के प्रश्न पर मा० मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन से प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत 2002-2003 में प्राप्त धन से अवशेष 45.93 लाख रुपये तत्काल अवमुक्त किये जाने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17-2-2004 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर की है ।

(श्री कमलेश कुमार पाठक सहित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठकर नारे लगाते रहे-व्यवधान)

माननीय पाठक जी, शासन के संज्ञान में मैंने आपकी बात ला दी । नेता बसपा, कृपया अपने सदस्यों को वापस बुलायें । माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं । यह जो नियम–300 की सूचनायें हैं, इनको मैं आज निरस्त कर रहा हूं । माननीय सदस्य इन सूचनाओं को दुबारा दे देंगे, अगले कार्यकारी दिवस पर, अगर वह देना चाहें तो आज मैं इनको निरस्त करता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव विधान सभा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से विना किसी सिफारिश के दिनांक 10 फरवरी 2004 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त हो जायें, माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं ।

औरैया में हुए कथित लाठीचार्ज एवं गोली काण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, हमेशा सदन में जब किसी माननीय सदस्य से संबंधित प्रश्न होता है तो अपेक्षा यह होती है कि आपका संरक्षण उसको मिलेगा । उनके आग्रह पर आपने अवसर दिया और कहा कि वह अपना स्टेटमेंट दे दें । बाद में आपने कहा कि आपने उसे सरकार के संज्ञान में ला दिया है । मेरा कहना यह है कि सरकार के संज्ञान में तो यह पहले से है । इसके पहले मुख्य मंत्री ने बयान दिया, आज संसदीय कार्य मंत्री ने भी बयान दिया, दोनों कंट्राडिक्टरी हैं । ऐसी हालत में कोई जांच, कोई रिपोर्ट कोई वक्तव्य इस सदन के अन्दर आना चाहिए । इस पर आप सरकार को निर्देशित करें कि वह इस पर कोई वक्तव्य दें । माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है, मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, अब क्या सच्चाई है, वह सामने आये तो ? मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली । माननीय विधायक आपके सामने अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली चली । उन्होंने अपनी पूरी बात रखने की कोशिश की है, अब तो उनके द्वारा कहा गया है, वह सही है कि नहीं, यह तो पता लगना चाहिये । ऐसे समय में आपको कोई संरक्षण तो देना चाहिये । आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो यह सदन अपने सदस्यों की रक्षा कैसे कर पायेगा, इसलिये सदन में कोई जानकारी तो आये, कोई स्टेटमेंट तो आये, कोई जांच करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष इसलिये मैंने कहा था और माननीय पाठक जी से अनुरोध किया कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित रहेंगे, वह अपनी बात कह देंगे, लेकिन आपने तो व्यग्रता प्रकट कर दी । इसलिये जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आयेंगे, उस समय कहियेगा ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर से अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, व्यवधान)

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 20 फरवरी को मैं शासन से वक्तव्य मांग लूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, दिनांक 20 फरवरी को जो आपने सुना है, उस पर वक्तव्य दीजियेगा ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जो आपका आदेश होगा वह शिरोधार्य है ।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यों के वेल में बैठकर अपनी बात कहते रहने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं बहुत हो गया है, अब कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जब तक सदन व्यवस्थित न हो तब तक हम कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है और नेता प्रतिपक्ष ने भी एक अनुरोध किया मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कह दिया कि 20 फरवरी को वक्तव्य आ जायेगा । आप चाहते थे कि शासन का पक्ष आ जाय, तो शासन का पक्ष आ जायेगा । मैंने कह दिया है, 20 फरवरी को सरकार का वक्तव्य आ जायेगा ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, 13 फरवरी को वक्तव्य आ चुका है और मैं चाहता हूं कि इस पर एक सर्वदलीय समिति का गठन हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मद सं०–5, मद सं०–6 और मद सं०–7 में कुछ नही है । मद सं०–8 में भी कोई सूचना नही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक 2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 को पुरः स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2004

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं ।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 26 मार्च, 2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यों के सदन के फ्लोर में बैठकर अपनी बात कहते रहने और नारे लगाते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी । 1 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

औरैया में हुए कथित लाठी चार्ज एवं गोली काण्ड की घटना पर शासन से वक्तव्य की मांग (क्रमागत)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैं घटना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरी बात सुन लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नेता सदन ने सदन को गुमराह किया है । वह माफी मांगें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 17 फरवरी 2004 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी है । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

(शोर)

(श्री श्यामदेव राय चौधरी का नाम पुकारा गया)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये । (शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नेता सदन ने सदन को गुमराह किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी कृपया बैठ जायं ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने चौधरी साहब का नाम पुकारा है उनको अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उनको माफी मांगना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी यह ठीक नहीं है । (शोर) कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने गलत तथ्यों को रखकर सदन को गुमराह किया है ।

(श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री घूरा राम, श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह) तथा श्री मुंशी लाल गौतम आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

(सदन के वेल से)

श्री कमलेश कुमार पाठक–

श्रीमन् आप मेरी बात सुन लें और निर्देश दें ।

(नारे लगाये गये)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

(सदस्यों द्वारा सदन के वेल में नारे लगाने एवं बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन दो बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

एक विधायक का हाथ टूट गया । इस प्रकरण में माननीय नेता सदन ने सदन को गुमराह करने का काम किया है । नेता सदन यहां आकर माफी मांगें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस तरह से जनता की आवाज को लाठी डंडों के बल पर दबाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

20 तारीख को इस पर बयान हो जायगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिस तरह से सदन को गुमराह करने का काम किया गया है जिस तरह का सरकार का रवैया है गुण्डा राज्य कायम हो गया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । मौर्य जी बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे)

श्री उपाध्यक्ष–

20 तारीख को इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान होना है माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित कर दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

एक विधायक का हाथ लाठी डंडों से तोड़ दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठें ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह सदन के एक सदस्य का मामला है ।

.[श्री कमलेश कुमार पाठक श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह) एवं घूरा राम के साथ बसपा के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 की सूचनायें माननीय सदस्य 20 तारीख को पुनः दे दें ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)–

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।.....

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 17 फरवरी, 2004 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना

श्री राम नरेश यादव की — उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1999 में चयनित अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की — जनपद झांसी के भाजपा कार्यकर्ता श्री बाबू लाल जैन के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

तीसरी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की — जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत विकास कार्यों के लिए अवशेष धन को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

चौथी सूचना श्री सुखदेव राजभर की — जिला अम्बेडकर नगर स्थित ग्राम कठमोरवा की नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

---

† दिनांक 13 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से ।

पांचवीं सूचना डा० अजय कुमार की — जनपद बागपत स्थित निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने का भुगतान कम दरों पर किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

छठवीं सूचना डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा की — जनपद जालौन में कटहा-चिनौठ के मध्य बेतवा नदी पर सेतु निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

सातवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह) की — जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखा शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

आठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" की — जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी ।

नवीं सूचना श्री राम हेत की — प्रदेश में प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटियों द्वारा खाद एवं बीज का वितरण रोके जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की — नोएडा के सेक्टर–26 में 50 करोड़ की भूमि को क्लब में परिवर्तित कर घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

ग्यारवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ल की — जनपद गोण्डा के श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को थानाध्यक्ष खरगुपुर द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

बारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की — जनपद बलिया स्थित सिकन्दरपुर में दरौली-खरीद घाट पर घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

तेरहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की — नोएडा क्षेत्रान्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर पूर्व में बसी आबादियों को छोड़कर अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

चौदहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की — जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद में भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की — प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों को रोके जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

सोलहवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की — प्रदेश की परिवहन बसों में खलासी नियुक्त करने के सम्बन्ध मे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

सत्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की — प्रदेश में नगर निगम के उपमहापौरों को पूर्व में दी गई सुविधाओं को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी ।

1–श्री कार्शाराम, 2–श्री आर०एस० कुशवाहा, 3–श्रीमती विद्या चौधरी, 4–श्री छोटे लाल यादव, 5–श्री अनिल कुमार वर्मा, 6–श्री विश्राम सिंह यादव, 7–श्री राम हेत, 8–श्री प्रेम सिंह, 9–श्री प्रागी लाल अहिरवार की सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

(व्यवधान के मध्य)

अब हम आगे की मद लेते हैं ।

प्रदेश में नगर निगम के पार्षदों को दी जाने वाली विकास निधि, मोबाइल फोन और उप नगर आयुक्तों को दिये गये वाहनों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में मुख्य रूप से यह विन्दु उठाये गये हैं कि नगर विकास विभाग द्वारा विगत दिनों शासनादेश जारी कर नगर निगम के पर्षदों.....

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[को आवंटित होने वाली विकास निधि, मोबाइल फोन और उप नगर आयुक्तों को दिये गये वाहनों पर रोक लगा दी गयी है, जिसके कारण पार्षदों में काफी रोष है और विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं ।

2–नगर निगम के पार्षदों को आवंटित होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2004 में नगर निगमों द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों हेतु धन आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि नगर के समस्त मोहल्लों का समान रूप से विकास कार्य हो सके । यह कथन सत्य नहीं है कि इस शासनादेश से विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । विकास कार्य से सम्बन्धित धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने हेतु सामान्यतः पार्षदों की अनुशंसा/प्रस्ताव पर स्वीकृत किये जाते हैं । अतः यह कथन भी सत्य से परे है कि विकास किस क्षेत्र में कराया जाय, यह पार्षद के स्थान पर अधिकारी तय करेंगे ।

उपरोक्त शासनादेश सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है । अतः इसे किसी भी स्तर से अलोकतान्त्रिक कहना उचित नहीं होगा ।

3–नगर निगमों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों को नगर निगम के खर्च पर दिये गये मोबाइल फोन को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत रखते मितव्ययिता के आधार पर उक्त सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

4–नगर निगमों के उप नगर आयुक्तों को प्रदान किये गये वाहनों को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग द्वारा नई गाड़ियों को क्रय न करने एवं मितव्ययिता के आधार पर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्य करने के आदेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत उपनगर आयुक्तों को प्रदान किये गये वाहन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है और नगर निगमों के सभी उप नगर आयुक्तों को कार्यों के निरीक्षण हेतु अनुरक्षण/पेट्रोल के मद में रु० 500/- प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । साथ ही आपातकालीन दौरों के लिए एक मार्शल वैन रखे जाने की व्यवस्था भी की गयी है ।]

प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों पर कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा लगायी गयी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, स्थानीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास.....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[व सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त रिवाल्विंग फण्ड का समायोजन 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि में से कटौती किये जाने के सम्बन्ध में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश को निरस्त करने हेतु मा० विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 13-2-2004 को नोटिस दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा उक्त आदेश को शीघ्र निरस्त करने की कार्यवाही की जानी थी ।

इस सम्बन्ध में अवगत काना है कि स्थानीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त रिवाल्विंग फण्ड का समायोजन 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि में से कटौती किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–क०नि०–5-6150/11-2001-500(65)/1991, दिनांक 31-12-2001 वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया गया था । उक्त के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चूंकि रिवाल्विंग फण्ड से निकायों को दिये जाने वाले ऋण की कटौती द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से संक्रमित धनराशि से की जानी है, अतः स्टाम्प ड्यूटी के रूप में मिलने वाली 2 प्रतिशत धनराशि से उक्त रिवाल्विंग फण्ड का समायोजन/कटौती न किया जाये । इस बिन्दु पर वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-12-2001 को निरस्त किया जाये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः तद्नुसार निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 31-12-2001 को शासनादेश संख्या–क०नि०–5-751/11–2004-500(65)/1991, दिनांक 13-2-2004 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है ।]

जनपद बागपत के छपरौली अन्तर्गत बड़ौत से टाण्डा तक निर्मित घटिया सड़क की जांच कराने के सम्बन्ध में डा० अजय कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि बड़ौत से टाण्डा.....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[(वाया छपरौली) 22 कि०मी० सड़क का निर्माण कार्य विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत यू०पी० डास्प द्वारा कराया गया लेकिन कुछ ही माह में सड़क टूटने लगी और गड्ढे होने लगे हैं । अतः सड़क की अविलम्ब जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करायी जाए और सड़क को प्राथमिकता के आधार पर ठीक भी करायी जाए ।

बड़ौत से टाण्डा वाया छपरौली सड़क का निर्माण कार्य विश्व बैंक पोषित डास्प योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है । मा० सदस्य द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोध के आधार पर इस मार्ग के निर्माण की जांच मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र सं०–423 ईएफ/क/सी–9ईएफ2603/2004, दिनांक 12-02-2004 द्वारा सौंपी गयी है और एक सप्ताह में जांच कर आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं । मुख्य अभियन्ता की आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार सड़क भी ठीक करायी जायेगी ।]

प्रदेश में नगरपालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

मान्यवर, श्री जगदीश नारायण राय, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13-2-2004 को....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व खनि कर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[विधान सभा में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया गया है कि "प्रदेश में नगर पालिका परिषदों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से बिना शासन की अनुमति के फर्जी चयन समितियां बनाकर अनियमित नियुक्तियां कर नगर पालिका परिषदों को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाया जा रहा है ।"

उल्लेखनीय है कि मा० सदस्य द्वारा इंगित श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, जौनपुर द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जौनपुर से आख्या मांगी गयी । जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या–1199/एल०वी०सी०/2004, दिनांक 14-2-2004 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिशसी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जौनपुर द्वारा उक्त नगर पालिका परिषद् में अवैध रूप से 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 3-2-04 को कर ली गयी थी । इन नियुक्तियों की शिकायत तथा विरोध मा० सभासदगण द्वारा किये जाने पर श्री श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जौनपुर द्वारा उक्त नियुक्तियों को पुनः अपने आदेश दिनांक 4-2-2004 द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जौनपुर को नगर पालिका परिषद्, जौनपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके द्वारा की गयी उक्त अवैध नियुक्तियों हेतु उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।]

उत्तरांचल प्रदेश बनने के बाद स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को मनमाने ढंग से उत्तरांचल भेजने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम–51 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी.....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[उपर्युक्त सूचना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में स्थानान्तरित किये जा रहे कर्मचारियों में पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के ही कर्मचारी भेजे जा रहे हैं जिससे इस सम्बन्ध में निर्धारित मानक, नीति एवं भारत सरकार द्वारा गठित आयोग के निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन हो रहा है और पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है तथा बदले की भावना से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि उ० प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य पदों के विभाजन तथा कार्मिकों का अन्तिम आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है । राज्य परामर्शीय समिति द्वारा पदों के आवंटन एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु सिद्धान्त, प्रक्रिया एवं व्यवस्था को अन्तिम रूप प्रदान किये जाने के पश्चात् उत्तरांचल समन्वय अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या–915/28-1-2002, दिनांक 15 जुलाई, 2002 द्वारा दोनों राज्यों के मध्य पदों एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु व्यवस्था एवं प्रक्रिया स्थापित की गयी है । जिसके अन्तर्गत राज्य सेवा संवर्गों के कार्मिकों का उत्तरांचल राज्य आवंटन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

(1) सर्वप्रथम संवर्गवार पदों की संख्या के विरुद्ध विकल्पधारियों को उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाए । (विकल्प से तात्पर्य कार्मिक द्वारा दिनांक 15-6-2001 तक दिये गये प्रथम विकल्प से है, जिसमें परि·र्तन मान्य नहीं है ।)

(2) यदि रिक्ति विद्यमान रहती है तो उसे भरने के लिए उत्तरांचल के मूल निवासियों को आवंटित किया जाए । उत्तरांचल के मूल निवासी से तात्पर्य ऐसे कार्मिक से है, जिसके सेवा अभिलेखों में दिनांक 1-4-2000 की स्थिति के अनुसार गृह जनपद उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में से कोई एक जनपद घोषित है ।

(3) यदि फिर भी रिक्ति विद्यमान रहती है तो उस पर सम्बन्धित संवर्ग में समान वेतनमान में नियत तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम कार्मिकों को आवंटित किया जाए ।

(4) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में केवल ऊपर मद (3) में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए । साथ ही किसी संवर्ग के प्रत्येक वैच की कुल संख्या के समानुपात में कनिष्ठतम कार्मिकों को यथासम्भव आवंटित किया जाए ।

(5) पति/पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की दशा में ज्येष्ठ सरकारी सेवक के विकल्प के अनुसार राज्य आवंटित किया जाएगा । ज्येष्ठ से तात्पर्य ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवक से है । परन्तु भारत सरकार के आदेश दिनांक 11-09-2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों यथा–पति/पत्नी के पत्नी/पति को केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं ।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(6) महिला कार्मिकों को केवल उनके विकल्प के अनुसार आवंटित किया जाएगा किन्तु यदि उनके पति ऊपर मद (2) या (3) से आच्छादित होते हैं तो उन्हें केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं ।

(7) नियत तिथि से जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम अवधि अवशेष रह गयी हो उन्हें केवल उनके विकल्प के अनुसार उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाएगा ।

(8) विकलांग कार्मिकों को केवल उनके विकल्प के आधार पर ही राज्यों को आवंटित किया जाएगा यदि वे भारत सरकार के आदेश दिनांक 11-09-2001 से आच्छादित नहीं हैं ।

इस शासनादेश के प्राविधान से यह स्पष्ट है कि नियत तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम कार्मिकों के आवंटन के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य का आरक्षण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा ।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सिंचाई विभाग के ऐसे कार्मिकों, जिन्हें उत्तरांचल अन्तिम रूप से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है, की सूची सम्बन्धित कार्मिकों को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–133/04-27–सिं–8-106सअ/2000, दिनांक 28 जनवरी, 2004 द्वारा भेजते हुए उनका प्रत्यावेदन मांगा गया है । उनके प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर निर्धारित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के अनुसार उसका परीक्षण करके शासन के सिंचाई विभाग की आख्या एवं संस्तुति के साथ इसे उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 के माध्यम से राज्य परामर्शीय समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा और समिति की संस्तुति के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा ।

अतः यह कहना सही नहीं है कि सिंचाई विभाग द्वारा उत्तरांचल राज्य को भेजे जाने वाले कार्मिकों की प्रस्तावित सूची में केवल पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के ही कर्मचारी भेजे जा रहे हैं और राज्य परामर्शीय समिति के निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन हो रहा है । पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त होने का भी प्रश्न नहीं उठता है तथा यह भी सही नहीं है कि बदले की भावना से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । वास्तविकता यह है कि निर्धारित प्रक्रिया एवं सिद्धान्त के अनुरूप विभागाध्यक्ष से सूची प्राप्त करके उस पर उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग की सहमति प्राप्त करके उसे प्रस्तावित कार्मिकों में परिचालित किया गया है ताकि उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो वे तद्नुसार अपना प्रत्यावेदन दे सकें । अतः कोई भी कार्मिक जिन्हें इस तरह की आपत्ति हो अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से शासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर सिंचाई विभाग की आख्या के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम निर्णय राज्य परामर्शीय समिति के स्तर पर ही लिया जाना अपेक्षित है ।]

जनपद गोण्डा में माफियाओं द्वारा सरकारी खाद्यान्न गोदाम से उठाकर बाजार में बेंच दिये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनपद गोण्डा में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत.....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[आये हजारों कुन्टल खाद्यान्न का गेहूं, चावल पात्रों तक न पहुंच कर एक संगठित माफिया द्वारा कोटेदारों से मिली भगत कर आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम से उठाकर सीधे बाजार में बेंच दिया जाता है तथा वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले माफिया सहेल, आलम, इन्दर तथा वंटी के द्वारा 45.8.13.17 कोटेदारों का समूह बना रखा है । इन सभी दुकानों का सरकारी योजनाओं के खाद्यान्नों की बिक्री इन लोगों द्वारा खुले बाजार में कर दी जाती है ।

उदाहरणार्थ दिनांक 31-10-2003 को आवश्यक वस्तु निगम के झंझरी गोदाम से आठ ट्रक बी०पी०एल० योजना का गेहूं गायब होने की रिपोर्ट तहसीलदार गोण्डा द्वारा लिखाई गयी और गोदाम प्रभारी अभी तक फरार है ।

खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचने वालों के पिता तथा उनके पूरे पते का उल्लेख नोटिस में नहीं है जिससे इन व्यक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी करने में कठिनाई है तथा इनके साथ 45.8.13.17 कोटेदारों के समूह बनाने की बात निराधार है ।

दिनांक 31-10-2003 को आवश्यक वस्तु निगम के झंझरी गोदाम से 8 ट्रक गेहूं गायब होने की सूचना मिलने पर तहसीलदार, सदर गोण्डा, जिलापूर्ति अधिकारी तथा उप सम्भागीय विपणन अधिकारी गोण्डा ने संयुक्त रूप से झंझरी गोदाम की जांच करने के बाद दिनांक 31-10-2003 को कोतवाली नगर, गोण्डा में श्री शैलन्द्र कुमार मिश्र, तहसीलदार सदर, गोण्डा द्वारा मु०अ०सं०–36/2003 धारा–406/409 आई०पी०सी० बनाम सुशान्त मजूमदार, गोदाम प्रभारी झंझरी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है । श्री प्रशान्त मजूमदार को निलम्बित कर दिया गया है ।

वर्तमान समय में खाद्यान्न का वितरण पात्र लाभार्थियों के कार्ड धारकों को निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है । अतः यह कहना उचित नहीं है कि पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है ।]

जनपद झांसी के मऊरानीपुर में चोरी से बिजली के तार काटने से विद्युत व्यवस्था खराब होने के सम्बन्ध में श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनपद झांसी के मऊरानीपुर अन्तर्गत ग्राम सितौरा एवं ग्राम विजरवारा,....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[ग्राम बसरिया एवं ग्राम खिजौरा के ग्रामों की विद्युत लाइन चोरों द्वारा काटे जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है । चोरों द्वारा काटी गयी विद्युत लाइन के तार जुड़वाने हेतु तार आदि स्टोर से जारी कराये जाने की कार्यवाही हो रही है । विद्युत लाइन शीघ्र ही जुड़वाये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

मऊरानीपुर, जनपद झांसी में 5 एम०वी०ए० का ट्रान्सफार्मर लगाने एवं बिजली की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था सुधारने तथा विद्युत के जर्जर तारों को बदलवाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।]

जनपद प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनपद प्रतापगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र.....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[पृथ्वीगंज मन्दाह, बाघराय, रानीगंज, नारायनपुर औरैला निर्माणाधीन हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रु० 5.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध थी तथा पूरी धनराशि अवमुक्त करते हुए जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह एवं रानीगंज को क्रमशः 40.00 लाख तथा रु० 3.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है । उक्त धनराशि से मन्दाह में मुख्य चिकित्सालय भवन क्रियाशील हो जायेगा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज का समस्त निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा । यह चिकित्सालय पहले से ही क्रियाशील है ।

इसी प्रकार जनपद प्रतापगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिपाहमेहरी, पटना, रानीगंज, नारायनपुर, हरीपुर बरदेता, वीरापुर, मानापुर, ढिढुयी निर्माणाधीन है । पूरे प्रदेश के लिए निर्माणाधीन समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु० 10.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायनपुर के लिए रु० 12.36 लाख तथा ढिढुयी के लिए रु० 12.95 लाख की धनराशि स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है । शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अगली

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ में कुल 16 विकास खण्ड हैं जिसमें 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं । हर विकास खण्ड स्तर पर जनसामान्य की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के ग्राम-कटया में स्थापित गन्ना कृषि शोध केन्द्र का कार्य सही ढंग से न किये जाने के संबंध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री बीजू पटनायक मा० विधायक द्वारा दी गयी सूचना में कहा गया है ....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[कि गन्ना बीज एवं सम्वर्धन केन्द्र, कटया, गाजीपुर पर किसानों को बीज नही मिल रहा है तथा सरकार की मंशा के अनुरूप शोधित बीज पैदा करके वहां के स्थानीय किसानों को दिया नही जा रहा है एवं शोध का कार्य ठीक ढंग से नही हो रहा है । अतः मा० अध्यक्ष उक्त शोध केन्द्र को सही ढंग से चलाने का निर्देश सरकार को दें ।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत गन्ना बीज एवं सम्वर्धन केन्द्र, कटया सादात गाजीपुर का कुल क्षेत्रफल 46.40 हे० है, में से 20.40 हे० ही कृषि योग्य है । इस सम्वर्धन केन्द्र पर प्रतिवर्ष उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों के बीज सम्वर्धन हेतु बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है तथा उत्पादित गन्ना बीज का वितरण अग्रेतर बीज उत्पादन हेतु विभिन्न गन्ना बीज उत्पादकों को किया जाता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमित संसाधनों के अन्तर्गत उक्त क्रय केन्द्र पर वर्ष 2002-03 में लगभग 746 कु० एवं वर्ष 2003-04 में 1150 कु० अभिजनक गन्ना बीज का उत्पादन किया गया था । इसके सापेक्ष क्रमशः 730 कु० एवं 1150 कु० बीज आधार पौधशाला स्थापना हेतु विभाग स्तर से निकटवर्ती चीनी मिल क्षेत्रों में वितरित कराया गया है । अतः यह कहना कि शोध का कार्य ठीक से नही हो रहा है सही प्रतीत नही हो रहा है ।

सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग एवं सतर्क है ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि ....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[जनपद आगरा में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक अतिक्रमण हो रहा है जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा सड़कों पर घण्टों जाम लगा रहता है । अतिक्रमण के कारण नालियों की सफाई नही हो पाती है तथा नालियों के जाम होने के कारण सड़कों पर गन्दगी बनी रहती है । उक्त अतिक्रमण के संबंध में नगर प्रशासन से मा० सदस्य द्वारा शिकायत की गयी लेकिन अभी तक अतिक्रमण नही हटवाया गया है ।

उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा द्वारा जनपद आगरा में एत्मादुद्दौला के सामने जमुना ब्रज स्टेशन रोड पानी की टंकी घटिया वी०पी, आयल मिल घटिया, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज, दोनों रेलवे पुल बेलनगंज के नीचे, हास्पीटल रोड, पानी की टंकी आलमगंज एवं नौबस्ता चौराहा आदि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । उपरोक्त में से वी०पी० आयल मिल महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज धूलियागंज पंप के पास, बेलनगंज आदि से अतिक्रमण राम बारात के दौरान हटाये गये थे । पुनः उक्त स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिनको हटाने की कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है ।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बनध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

भूततव एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दादरी रेलवे क्रासिंग के समीप कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया के सामने से ग्राम रूपवास-आमका होते हुए.....

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[जी०टी० रोड को सीधे जोड़ने हेतु एक रेलवे ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया था । इस कार्य की अनुमानित लागत रु० 31.00 करोड़ है, जिसमें कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया, ग्रेटर नाएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं एसाइड फण्डिंग के अन्तर्गत (केन्द्र सरकार) प्रत्येक से रु० 5.00 करोड़ कुल 15 करोड़ का वहन किया जाना प्रस्तावित था, शेष रु० 16 करोड़ बी०ओ०टी० के आधार पर उ०प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा व्यय किया जाना था । एसाइड फण्डिंग के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रु० 2.00 करोड़ की धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हुई । इस योजना हेतु रु० 342.59 लाख की भूमि का अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है एवं इसकी सूचना भी केन्द्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी है ।

उ०प्र० राज्य सेतु निगम से बी०ओ०टी के आधार पर जो एम०ओ०यू० हुआ था, उसके अनुसार 150 दिन के अन्दर पूरी भूमि उ०प्र० राज्य सेतु निगम को उपलब्ध करायी जानी थी । पूरी भूमि का अधिग्रहण 150 दिन के अन्दर न होने के कारण उ०प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा एम०ओ०यू० को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । अतः इस रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रारम्भ नही हो सका ।

दादरी रेलवे क्रासिंग के समीप रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु दिनांक 3-2-2--4 को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, नार्दन सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया एवं उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के अधिकारियों के बीच ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया कि दादरी रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण से कन्टेनर कारपोरेशन के भारी एवं लम्बे वाहनों को दादरी के व्यस्तता बाजार से गुजरने से यातायात और बाधित होगा एवं जी०टी० रोड के जंक्शन पर लम्बे वाहनों के मुड़ने में भी परेशानी होगी । दिनांक 3-2-2004 की बैठक के संदर्भ में पूर्व में प्रस्तावित एवं अधिग्रहीत किये गये भूमि के एलाइमेन्ट में ग्राम-रूपवास-आमका होते हुए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु रेलवे विभाग की सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।]

जनपद गोण्डा के ग्राम बछईपुर में तहसीलदार द्वारा पारित जुर्माने की रकम को जमा न कराये जाने के संबंध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा नियम–51 के अनर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

भूतपूर्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्री कमाल यूसुफ मलिक)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, गोण्डा से आख्या प्राप्त की गई....

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

(वक्तव्य भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[जिसमें अवगत कराया गया है कि लेखपाल द्वारा दिनांक 1-8-2002 को श्री आंधी पुत्र राम धीरज नि० ग्राम बछईपुर के विरुद्ध 122वी/115सी के अन्तर्गत रिपोर्ट तहसीलदार गोण्डा के न्यायालय पर प्रस्तुत की गयी थी । ग्राम बछईपुर परगना तहसील जिला गोण्डा स्थित गाटा संख्या–188/0-65 चारागाह की खाते की भूमि है जिसे आंधी पुत्र रामधीरज ने 0-03 एकड़ भूमि पर अनाधिकार कब्जा करके पक्का मकान बना लिया है । विपक्षी के विरुद्ध नोटिस 49-क जारी की गयी, विपक्षी ने दिनांक 4-9-2002, 20-9-2002 तथा 9-10-2002 को आपत्ति दाखिल करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 30-10-2002 को विपक्षी के अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करके विपक्षी के ऊपर रुपये 32.625/- की क्षतिपूर्ति अवधारित की गयी । विपक्षी आंधी ने दिनांक 30-10-2002 को वाद दायर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 18-11-02 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । पत्रावली में तारीख पेशी 27-2-2004 वास्ते बयान लेखपाल नियत है । यथाशीघ्र वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा ।

यह भी अवगत कराना है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-10-02 से विपक्षी आंधी के ऊपर क्षतिपूर्ति अवधारित की गयी थी । विपक्षी आंधी के वाद दायर प्रार्थना-पत्र पर पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 30-10-2002 निरस्त किया जा चुका है, इसलिए विपक्षी के ऊपर आर०सी० जारी किया जाना तथा उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाना उचित नही है । न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।]

महाराष्ट्र प्रदेश में फर्जी स्टाम्प एवं स्टैम्प पेपर घोटाला काण्ड प्रकाश में आने एवं उसकी बिक्री प्रदेश में होने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घंटे की निर्धारित चर्चा को निरस्त किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

महाराष्ट्र प्रदेश में फर्जी स्टाम्प एवं स्टैम्प पेपर घोटाला काण्ड प्रकाश में आने एवं उसकी बिक्री प्रदेश में होने विषयक दिनांक 11 फरवरी, 2004 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 (नत्थी 'क') के सम्बन्ध में माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा निरस्त की जाती है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(व्यवधान जारी)

अब हम उठते हैं । 20 फरवरी, 2004 को फिर 11.00 बजे (पूर्वाह्न) बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 37 मिनट पर शुक्रवार 20 फरवरी, 2004 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 17 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर ।)

वर्ष 1999-2000 से 01 फरवरी, 2004 तक अधिष्ठान मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर के व्यय का व्यौरा

वर्ष 1999-2000

क्र०सं०	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01–वेतन	3,30,000	2,88,615
2	03–मंहगाई भत्ता	1,05,000	72,954
3	06–अन्य भत्ते	6,000	12,110
4	04–यात्रा व्यय	5,000	5,000
5	08–कार्यालय व्यय	10,000	10,000
6	11–लेखन सामग्री	1,000	1,000
7	31–सामग्री सम्पूर्ति	25,000	25,000
8	39–औषधि व्यय	8,000	0
9	41–भोजन व्यय	1,00,000	18,769
10	42–अन्य व्यय	15,000	15,000
11	13–टेलीफोन	2,000	1,995
12	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,000	4,684

वर्ष 2000-01

क्र०सं०	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01–वेतन		2,38,078
2	03–मंहगाई भत्ता		99,257
3	06–अन्य भत्ते		15,480
4	04–यात्रा व्यय	4,500	4,461
5	08–कार्यालय व्यय	1,000	1,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
6	11–लेखन सामग्री	2,000	2,000
7	31–सामग्री सम्पूर्ति	0	0
8	39–औषधि व्यय	5,000	5,000
9	41–भोजन व्यय	0	0
10	42–अन्य व्यय	0	0
11	13–टेलीफोन	4,000	4,000
12	26–मशीन साज सज्जा	2,000	2,000
13	02–मजदूरी	1,71,040	1,67,690
14	मानदेय	14,850	9,675
15	09–विद्युत देय	10,000	10,000
16	किराया उप शुल्क	1,470	1,470
17	29–अनुरक्षण	3,000	3,000

वर्ष 2001-02

क्र०सं०	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01–वेतन	2,91,250	2,69,614
2	03–मंहगाई भत्ता	1,26,070	1,13,484
3	06–अन्य भत्ते	30,500	25,355
4	04–यात्रा व्यय	7,000	6,950
5	08–कार्यालय व्यय	5,000	5,000
11	13–टेलीफोन	1,000	0
12	26–मशीन साज सज्जा	10,000	10,000
13	02–मजदूरी	18,200	16,694
15	09–विद्युत देय	5,000	5,000
16	किराया उप शुल्क	1,600	1,470

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2002-03

क्र०सं०	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01–वेतन	वजट आवंटन समस्त संस्थाओं	1,91,868
2	03–मंहगाई भत्ता	का एक में है, इसलिए	90,447
3	06–अन्य भत्ते	आवंटन दर्शित नहीं है	15,810
4	04–यात्रा व्यय	4,000	4,000
5	08–कार्यालय व्यय	1,000	1,000
6	13–टेलीफोन	2,000	1,033
7	02–मजदूरी	19,500	16,693
8	09–विद्युत देय	18,000	18,000
9	किराया उप शुल्क	1,480	1,470
10	11–लेखन सामग्री	500	500

वर्ष 2003-04

क्र०सं०	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01–वेतन	वजट आवंटन समस्त संस्थाओं	1,48,784
2	03–मंहगाई भत्ता	का एक में है, इसलिए	76,480
3	06–अन्य भत्ते	आवंटन दर्शित नहीं है	9,456
4	04–यात्रा व्यय	4,000	0
5	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4,000	0
6	किराया उप शुल्क	0	735

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल०–39 विधान सभा (78)–24-6-04–(813) (डी०टी०पी०) ।